


# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अंज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर  
हरिसिंह बनाम जगराम वगैरा

किस्म मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

मु० नं० <sup>1</sup>/<sub>42</sub> 24/11/24 -2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज पुनः	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.04.2024	<p>दावा वकील वादी श्री मनोज कुमार बैरवा विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06-05-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      अलवर                 </p> <p>6.5.24                      पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरोक्त नोटिसीन अधिकारी अल्प प्रशां फर्दों में कल है। दिनांक 10.6.24 को पेश हो।</p> <p>15-5-24                      15-5-24</p> <p>पत्रावली पेश हुई वादी और वकील वादी ने जव. देकर जो अपत्र उपलुत किया कि वाद को बांटे ही पलाना चाहते हैं वादी उमरण में कोई भी कोषवाही चाहते हैं वाद को दली लता पर मोर उप काला चाहते हैं वादी वकील वादी को ह्या जाय काफी मबन करने के उपरान्त जो अपत्र लीकर किया जाता है मतः वाद वादी मोर उप से दली लता पर खरिज किया जाता है। मतः पत्रावली नबवा ले कम हो बाद वकील पत्रावली दाखिल उपतर होवे।</p>	<p>1, 2 &amp; 3/11/24                      Rec Copy                      6/5/24</p> <p>Not press                      15/5/24</p>

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 अलवर